Form No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम कालू राम कोरई

किस्म मुकदमा – विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता   मुकदमा नम्बर – 12/2023

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए
तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 30 दिनांक 03.06.2023 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम सुराणी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1389, 1390, 1453, 1455 में से — ग्राम शेरपुरा से महेन्द्र सिंह के मकान तक में जो रहे चालू रास्ते को अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एव. नियम 58, 59, 60, 66, व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल, जमाबंदी, नक्शा, सहमति पत्र, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा का रास्ते हेतु प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का कल्याणपुरा परिशिष्ट ए एवं अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर करने पर पत्रावली पेश हुयी। विविध प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेज का ध्यानपुर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जिससे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भिजवाये गये रास्तें के प्रस्ताव तन ग्राम सुराणी मे रास्ता शेरपुरा से महेन्द्र सिंह के मकान तक जाने वाला रास्ता जो मौके पर चालू होने से उक्त प्रचलित रास्तें को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में निर्णय आदेश मेंरे द्वारा पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर पालना निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। पत्रावली बाद पूर्ति होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.08.04 17:09:10 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	